**Regarding participation of Members of Parliament in Boards of various Institutions of Higher Education-Laid**

श्री विजय बघेल **(दुर्ग) :** केंद्र संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थान चाहे वह एन.आई.टी. हो या आई.आई.टी हो या अन्य शैक्षणिक संस्थाएं इनके अधिनियम के परिषद में पूर्व में दो लोकसभा सांसद व एक राज्य सभा सांसद का प्रावधान था । परंतु बाद में इसे संशोधित कर इसे विलोपित कर दिया गया । जिस वजह से कुछ डायरेक्टर व अधिकारीगण स्वयं से शैक्षणिक संस्था का संचालन कर रहे हैं जो कि नियम के अनुरूप नही है ऐसी कई शिकायतें हम जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होती है, सत्रहवीं लोकसभा में भी मेरे द्वारा इस विषय पर मांग की गई गई थे परन्तु आज दिनांक तक किसी भी सकारात्मक कार्यवाही की सुचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है उपरोक्त वर्णित अधिनियम को पुनः लागू किया जाये । जिससे कि विद्यार्थी हित में सही निर्णय लेते हुए केंद्र संचालित शैक्षणिक संस्था का सञ्चालन पारदर्शिता पूर्वक व सुचारू रूप से विद्यार्थी हित में हो सके ।